

Pradhan Mantri  
Awaas Yojana - Shabri


प्रधान मंत्री आवास योजना

# प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी

अन्तर्गत कोयल एन्क्लेव योजना में

सबके लिए आवास


के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+9) हेतु योजना की सर्वेक्षण  
पुस्तिका



सर्वेक्षण की तिथि दि०-१८.१.२०... से ...१७.१०.२०... तक

विकास पथ, गाजियाबाद

I.S.O.9001-2015 एवं I.S.O.14001-2015 प्रमाणित संस्था

  
S.E.

मूल्य रु० 50/-

गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

गाजियाबाद

प्रधानमंत्री आवास योजना डिमान्ड सर्वे ब्रोशर



सर्वे की तिथि दि०- 18.9.20 से 17.10.20 तक

कृपया शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कोयल एन्क्लेव योजना जनपद गाजियाबाद दुर्बल आय वर्ग के भवनों (PMA-9) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में गाजियाबाद के कोयल एन्क्लेव योजना के भवनों का निर्माण किये जाने हेतु डिमान्ड सर्वे किया जाना है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

योजना का नाम	कोयल एन्क्लेव योजना, गाजियाबाद
प्रस्तावित भवनों की संख्या	1000 (लगभग)
भवनों का आंतरिक संरचना	02 आवासीय कमरे, कुकिंग स्पेस, शौचालय, स्नान घर, बालकनी
कारपेट क्षेत्रफल	22.90 वर्ग मी०
भवन का मूल्य (प्रति भवन)	सीलिंग कॉस्ट रू०-6.05 लाख निर्धारित है। भारत सरकार का अंशदान रू०-1.50 लाख होगा। राज्य सरकार का अंशदान रू०-1.00 लाख होगा। अवशेष धनराशि रू०-3.55 लाख लाभार्थी से प्राप्त की जायेगी। भवनों की संख्या एवं मूल्य घट बढ़ सकता है।

लाभार्थी की पात्रता:-

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बेटे और/अथवा अविवाहित बेटियाँ शामिल होंगे।
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय रू०-3.00 लाख से कम होनी चाहिए।
- एक व्यस्क कमाऊ (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना) को एक अलग परिवार समझा जा सकता है, बशर्ते उसके पास भारत के किसी भी भाग में उसके नाम पर कोई पक्की (सभी मौसम वाली) रिहायशी इकाईयाँ नहीं होनी चाहिए। बशर्ते यह भी विवाहित दम्पति के मामले में पति/पत्नी में से कोई एक अथवा दोनो सयुक्त स्वामित्व में एक आवास के लिए पात्र होंगे, शर्त यह है कि स्कीम के तहत परिवार की आय पात्रता के अन्तर्गत आती हो।
- लाभार्थी गाजियाबाद विकास क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

  
  
S.E.

डिमाण्ड सर्वे हेतु नियम एवं शर्तें:-

- मांग सर्वेक्षण को भवन आवंटन हेतु पंजीकरण नहीं माना जायेगा।
- मांग सर्वेक्षण के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भवनो के विक्रय हेतु पृथक से पंजीकरण खोला जायेगा। पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें एवं अर्हताएँ पूर्ण करनी होगी।
- एक व्यक्ति केवल एक बार ही आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।
- समय-समय पर जारी शासनादेश मान्य होंगे।
- शासनादेश के अनुसार वरीयता निम्नानुसार दी जायेगी।

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्रम० सं०	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछडा वर्ग	27



(ब) हारिजन्टल वरीयता

क्रम० सं०	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1	दिव्यांग जन	05 प्रतिशत (वरीयता-भूतल के भवन/फलैट)
2	विधवा/एकल महिला	08 प्रतिशत
3	उभयलिंगी	0.05 प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछडा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है
5	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिशत (वरीयता-भूतल के भवन/फलैट)

- आवेदन पत्र का मूल्य रू०-50/- समायोजित/वापस नहीं होगा।
- भवनो की संख्या, क्षेत्रफल, स्थल पात्रता एवं नियम व शर्तों में यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो वह लाभार्थी को मान्य होगा।

आवेदन की प्रक्रिया:-

- डिमाण्ड सर्वे के आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाईट [pmaygda.gdaghaziabad.in](http://pmaygda.gdaghaziabad.in) में दिये गये लिंक पर ऑनलाईन भरे जायेंगे तथा आवेदन पत्र की कीमत रू 50/- ऑनलाईन भुगतान एच० डी० एफ० सी० बैंक डी-44 आर० डी० सी० राजनगर गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।


  
  
S.E.

- खाता संख्या V.C.GDA PMAY-50100299389350 HDFC BANK RAJNAGAR शाखा में धनराशि जमा करानी होगी।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक- 18.9.20 से 17.10.20 तक अपलोड किये जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों (~~2749~~) हेतु मांग सर्वेक्षण पुस्तिका का प्रारूप तैयार कर दायीं ओर सलंगन कर दिया गया है। डिमाण्ड सर्वे हेतु आवेदन पत्र दिनांक- 18.9.20 से 17.10.20 तक आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करना चाहे।

उपाध्यक्ष

46

  
SE.

"प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सबके लिए आवास" के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+9) के माँग सर्वेक्षण ( कोयल एन्वलेव योजना, गाजियाबाद) हेतु आवेदन पत्र

1. लाभार्थी का नाम
2. लिंग (पुरुष 01, महिला 02, उमयलिंगी 03)
3. आयु
4. पिता का नाम
5. वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा  
(क) मकान/फ्लैट/द्वार सं०  
(ख) गली का नाम  
(ग) शहर  
(घ) मोबाईल संख्या  
(ङ) ई-मेल एड्रेस
6. स्थायी पता  
(क) मकान/फ्लैट/द्वार सं०  
(ख) गली का नाम  
(ग) शहर  
(घ) मोबाईल संख्या
7. आधार कार्ड संख्या
8. वैवाहिक स्थिति  
(विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)
9. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान /रिहायशी भूमि है? (हाँ/नहीं)  
(क) यदि हाँ, तो स्थान का ब्यौरा दें  
(बस्ती/शहर/राज्य)  
(ख) यदि हाँ, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें
10. परिवार की औसत मासिक आय (रूपये में)  
लाभार्थी के हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

आवेदक अपना  
नवीनतम पासपोर्ट  
साईज फोटो  
सलग्न करें

#### घोषण-पत्र

1. मैं "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- सबके लिए आवास" के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+9) को क्रय करने का इच्छुक हूँ।
2. मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना सही है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचना गलत दी जाती है तो उसका/उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं होऊँगा/होऊँगी

लाभार्थी का हस्ताक्षर/अगूठे का निशान